संख्या–पी-340/81-2-2022-800(340)/2022

प्रेषक,

आशीष तिवारी
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 28 अक्टूबर 2022

विषय- जनपद झांसी में अदानी टोटल गैस लि0 झांसी द्वारा 200mm Dia कार्बन स्टील पाईप लाइन बिछाने हेतु झांसी-शिवपुरी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-27 के किमी0 संख्या-86 से 93.500 (कुल 7.500 किमी0) तक बांयी पटरी पर प्रभावित 0.225 है0 संरक्षित वनभूमि एवं झांसी-ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-44 के किमी0 संख्या-6.500 से 18.200 (कुल 11.700 किमी0) तक प्रभावित 0.351 है0 संरक्षित वनभूमि अर्थात कुल 0.576 है0 संरक्षित वनभूमि तथा सिजवाहा वन ब्लाक में प्रभावित 0.06 है0 आरक्षित वनभूमि अर्थात कुल प्रभावित 0.636 है0 वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/पाईपलाईन/143751/2021)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-1278/11-सी-एफपी/यूपी/पाईपलाईन/143751/2021 दिनांक 07.10.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके परीक्षणोपरान्त कतिपय कमियां पायी गई हैः-

1. प्रस्ताव में अथराईजेशन प्रमाण पत्र में वैधता अवधि में ओवरराईटिंग कर संशोधित किन परिस्थितियों में किया गया है ?
2. प्रस्ताव के पार्ट-1 में प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल 0.636 है0 अंकित है। जबकि पार्ट-2 में 0.667044 है0 अंकित है ?
3. प्रस्ताव में 0.06 है0 आरक्षित वनभूमि है, तो पार्ट-2 में भूमि की वैधानिक स्थिति संरक्षित वनभूमि ही क्यो अंकित है ?
4. पृष्ठ-22 पर रक्षित पावर ऑफ एटार्नी की वैधता अवधि 31.03.2022 अंकित किया गया है, जो समाप्त हो चुकी है।
5. पृष्ठ-27-33 पर रक्षित लाईसेंस में कार्यदायी कम्पनी एवं लाईसेंस प्रमाण पत्र में मोहर एवं टाईटिल में विसंगति है ?
6. पृष्ठ-46 पर अंकित है कि पाईपलाईन के बिछाये जाने में 0.576 है0 संरक्षित वनभूमि एवं 0.060 है0 आरक्षित वनभूमि, जिसका भू-स्वामित्व एन0एच0 है। 0.060 है0 का भू-स्वामित्व किसका है। स्थिति स्पष्ट की जाय।
7. पृष्ठ-67 पर रक्षित एन0एच0ए0आई0 का भू-स्वामित्व अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि दिनांक 03.01.2021 है, जो समाप्त हो चुकी है। नवीन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय ?
8. पृष्ठ-72 पर रक्षित लीज अवधि प्रमाण पत्र में 99 वर्ष के स्थान पर 30 वर्ष की वचनबद्धता उपलब्ध करायी जाय।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार स्थिति स्पष्ट करते हुए संशोधित आख्या/अभिलेख शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
अनु सचिव।

Signed by ओम प्रकाश
Date: 25-10-2022 16:30:37
Reason: Approved

Adso
to
cef/nodal
28/10/22

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक– 1508 /11–सी–FP/UP/Pipeline/143751/2021, लखनऊ, दिनांकः अक्टूबर 28 ,2022

प्रतिलिपि– वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि– उप प्रबन्धक, अदानी टोटल गैस लि0, झांसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।